TEN RUPEES FIVE RUPEES पाँच रुपये

नवीन प्र० 1525/2013

579

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–विदिशा

R 1525- PBR/13

के.के. द्विवेदी अधि.
22.4.13

22.4.13
K.K. Dwivedi
Advocate

1. केशरी पुत्र श्री प्रभु चमार,
2. खिल्लू पुत्र श्री सुन्दर चमार,
   नन्नू (मृत) विधिक वारिसान
3. सुशीलाबाई पत्नी स्व.नन्नू,
4. राजकुमार नाबालिग पुत्र स्व.नन्नू
5. राजेन्द्रकुमार नाबालिग पुत्र स्व.नन्नू
6. राजमोहन नाबालिग पुत्र स्व.नन्नू सरपरस्त माँ सुशीलाबाई पत्नी स्व. श्री नन्नू
7. भारत पुत्र श्री छुट्टा चमार,
8. बादल सिंह पुत्र श्री खिलान सिंह,
9. वीरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह,
10. मजबूतसिंह पुत्र श्री खुमानसिंह,
11. राजेश पुत्र श्री खुमान,
12. गोपालसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह,
13. रामलाल पुत्र श्री टुन्डा,

समस्त निवासीगण ग्राम गोलना,
तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला विदिशा (म.प्र.)
2. धन्यासा पुत्र श्री कल्याण,
3. नन्नू पुत्र श्री गुमना,
4. लक्ष्मण पुत्र श्री बैजनसिंह,
5. भागबाई पत्नी श्री हजरतसिंह यादव
6. रामकलीबाई पत्नी वेजनसिंह यादव
7. पहलवानसिंह पुत्र लालजी यादव
8. बाबूलाल पुत्र श्री गोरेलाल यादव,
9. निरपत पुत्र श्री गोरेलाल यादव
10. विशालसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
11. लाखनसिंह विजयसिंह
12. हिम्मत पुत्र श्री मचला,

समस्त निवासीगण ग्राम गोलना,
तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/ 97–98 /निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07.02.2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

XXIX(a)-BR(H)-11

579

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1525-पीबीआर/13 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	